

लोक साहित्य एवं लोक संगीत

Dr. Prem Lal

Assistant Professor Music, Govt. Degree College Arki, Solan, HP

सार संक्षेपिका

लोक साहित्य सर्वदेपीय, सर्वकालीन और सर्वसम्मत माना गया है, इसकी परम्पराएँ मिटती नहीं बल्कि गत्यात्मक रहती है और सदैव आगे बढ़ती रहती है, इसलिए लोक-साहित्य को गतिशील एवं ऐतिहासिक विज्ञान माना जाता है। लोक-साहित्य सर्व-साधारण की वह मौखिक एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जिसमें किसी भी अभ्यास एवं अध्ययन की अपेक्षा नहीं। यह तो बहुत सरल, सहज और स्वाभाविक वृत्तियों का निरूपण है, यह लोक जीवन की सहज भावाभिव्यक्ति है। लोक-साहित्य की अभिव्यक्ति की बात की जाए तो इसकी अभिव्यक्ति का एक मात्र सषक्त माध्यम केवल लोक संगीत व लोक गीत हैं। लोक गीत लोक-साहित्य को सूरत रूप प्रदान करते हैं। लोक-साहित्य के अंतर्गत लोक गीतों का उल्लेख सर्वप्रथम किया जाता है। गीत भावुक और संवेदनशील मानव के हृदय के स्वाभाविक उदगार के रूप में प्रकट होते हैं। लोक गीतों में समस्त चराचर गाता व झूमता है, ये वे गीत हैं जो आधुनिकता की चकाचौंध से परे पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परागत रूप से प्रवाहमान हैं, इसके रचियता अज्ञात हैं और ये एक बहती नदी की धाराओं की तरह चीरकाल से आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार यदि लोक-साहित्य की विधाओं पर दृष्टिपात किया जाये तो विभिन्न प्रान्तों में गाये जाने वाले लोक गीत लोक-साहित्य की अभिव्यक्ति का एक मात्र सषक्त माध्यम है।

बीज शब्द: गत्यात्मक, भावाभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, उदगार, रचियता, तन्मय, स्वच्छंदतापूर्वक, दृष्टिपात।

भूमिका

किसी देश की संस्कृति का परिचय उस देश के लोक साहित्य से प्राप्त हो जाता है। लोक साहित्य समाज की आत्मा का उज्ज्वल प्रतिबिम्ब है। किसी देश की जातीय, राष्ट्रीय, साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आर्थिक मापदंड के लिए अगर कोई पैमाना हमारे पास है, तो वह उस देश का लोक साहित्य ही है। लोक-साहित्य दो शब्दों 'लोक' और 'साहित्य' से मिलकर बना है। लोक साहित्य को जानने से पहले हमें लोक शब्द को जानना आवश्यक है।

लोक शब्द का अर्थ

वैसे तो 'लोक' शब्द का अर्थ अपने आप में व्यापक विस्तार लिए हुए है, परन्तु प्रस्तुत संदर्भ में किसी भी जन-समूह में स्थापित परम्परागत जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान सामान्य समुदाय को लोक की संज्ञा दी जा सकती है। इसे आम तौर पर ग्राम्य परिवेश के साथ जोड़ा जाता है, जो इसे संकुचित अर्थों में परिभाषित करता है। जबकि सही मायने में लोक के अंतर्गत गांवों से दूर रहने वाला वो जन मानस भी है, जो परंपरा व आदिम विष्वासों के बंधन से मुक्त नहीं।

लोक शब्द के विशय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है "लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं बल्कि नगरों व गांवों में फैली हुई समूची जनता है, जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पौथियां नहीं हैं ये लोग नगर में परिष्कृत, रूचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन में

अभ्यस्त होते हैं, जो परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकूमारिता को जीवित रखने के लिये जो वस्तुएँ आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। ” (डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक साहित्य का अध्ययन ‘जनपद’ पत्रिका अंक 3, पृष्ठ 65-66)

लोक का अर्थ सर्व-साधारण जनता से संबंध रखने वाला भी है, जिसे सर्वहारा वर्ग के रूप में गांव व शहर में देखा जा सकता है, जो श्रम की बुनियाद पर अपने जीवन की इमारत को खड़ी करने की कोषिष करता है। कहने का तात्पर्य है कि लोक शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। एक ओर यह सारे संसार और समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरी ओर अनपढ़, अशिक्षित, असभ्य और सभ्यता के प्रभाव से दूर अपनी मूल परम्पराओं में रहता हुआ साधारण जनता का बोध कराता है। सही मायने में लोक की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। जो इसका रचियता भी है और उसका संवाहक भी है।

लोक साहित्य अर्थ एवं स्वरूप

लोक शब्द के समान ही लोक साहित्य के लिये भी अनेक पर्यायों का प्रचलन है लोक साहित्य शब्द को अंग्रेजी के ‘फोकलिटेरेचर’ का अनुवाद माना जाता है। इस शब्द के लिए लोक-वार्ता का प्रयोग भी मिलता है त्रिलोचन पांड्ये जी के अनुसार “ लोक-वार्ता समस्त आचार-विचारों की वह अभिव्यक्ति होती है जिसमें मानव मात्र के भावों एवं संस्कृति का परम्परित रूप प्रत्यक्ष होता”, (लोक-साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ 20)। कहने का अभिप्राय यह है की यही समाज अपने जीवन के अनुभव को अपने विवेक के आधार पर विविध कलात्मक रूपों में अभिव्यक्त करता है तो वे लोकसाहित्य या कला द्वारा अभिचिन्हित किये जाते हैं।

लोक साहित्य के विशय में श्री राम शर्मा जी ने लिखा है कि “संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य में ‘साहित्य’ और ‘लिटरेचर’ दोनों काव्य के अर्थ में प्रस्तुत होते थे। लेकिन अब समस्त लिपिबद्ध अभिव्यक्ति को साहित्य और लिटेरेचर कहा जाने लगा। वस्तुतः लिपि का साहित्य से अविच्छेद संबन्ध नहीं है, क्योंकि बिना लिपि का सहारा लिये भी कोई रचना साहित्य की कोटि में आ जाती है। ‘वेद’ भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में लिपिबद्ध न थे परन्तु उनके विशय में ये प्रश्न कभी उठा ही नहीं कि वे साहित्य है की नहीं। (श्रीराम शर्मा-लोकसाहित्य का सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 34।)

लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। साधारण जनता का गाना, हंसना, खेलना, रोना इत्यादि जिन शब्दों में अभिव्यक्त हो सकता है, वह सब कुछ लोक-साहित्य परिधि में आ जाता है। लोक साहित्य को न किसी ने सजाया-संवारा है और न ही उसे कभी लेखनी की ही सहायता प्राप्त हुई। आरंभ से ही यह समाज के कंठ से ध्वनित होता रहा है। समाज में प्रचलित मान्यताएँ परिवर्तित हुईं, संस्कृति और सभ्यता समयानुसार बदलती रही, साहित्य विकास के साथ अपनी अभिव्यक्ति पैली तथा विचार पद्धति के अनुकूल बदलता गया, लेकिन लोक साहित्य अपने मूल-स्वरूप को लिए हुए सामूहिक लोक भावना की धरा को अविरल रूप में प्रवाहित करता रहा व पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा।

लोक साहित्य की परिभाषाएं

लोक साहित्य के विशय में विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार से हैं:-

(क) डॉ. धीरेन्द्र वर्मा "लोक साहित्य का सीधा संबंध लोकमानस से है। वाणी के द्वारा प्रकृत रूप में लोक मानस की सरल, निश्छल एवं अकृत्रिम अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य है"(सम्पादक हिंदी साहित्य कोश, पृष्ठ-682)।

(ख) डॉ. संतराम अनिल " सर्व- साधारण समाज की वह मौखिक एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति जिसकी रचना में अभ्यास और अध्ययन की अपेक्षा नहीं होती, जिससे करता का व्यक्तित्व साधारण कृत हो जाता है और जिसमें आदिम मानस के कुछ अवशेष विद्यमान हो और जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती चली जाए लोक साहित्य कहलाता है ",(कन्नौजी लोक साहित्य, पृष्ठ 25)।

(ग) सत्यव्रत सिन्हा "लोक साहित्य वह लोक रंजनी साहित्य है जो सर्व साधारण समाज की मौखिक रूप में भावमय अभिव्यक्ति करता है। "(भोजपुरी लोक साहित्य पृष्ठ-1)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक साहित्य सर्व-साधारण लोक समाज की वह मौखिक एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें किसी भी अभ्यास एवं अध्ययन की अपेक्षा नहीं और जिसमें आदिम मानव के कुछ अवशेष विद्यमान रहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारम्परिक रूप से चलते रहते हैं। समाज का वास्तविक चित्र लोक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है, लोक गीतों, लोक गाथाओं, लोक कथाओं और लोक नाट्यों से इन लोक रंजक कला परम्पराओं से मनुष्यों के रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान और रीती-रीवाजों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार समाज का चित्रण हमें लोक साहित्य में मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिकांशतः मौखिक है। यह मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। लोग अपने सुख-दुःख, राग-विराग, जीवन-मरण से संबंधित समस्त भावनाओं को एक दूसरे के साथ जिस रूप में बांटते हैं, उसे लोक साहित्य का ही हिस्सा माना जाता है।

लोक साहित्य का वर्गीकरण

लोक साहित्य लोक जीवन की सहज भावाभिव्यक्ति है। अतः उसमें लोक-हर्षोल्लास, हास-परिहास, विशाद-पीड़ा, सुख-दुःख, जय-पराजय, ज्ञान-विज्ञान, चिंतन-मनन सभी कुछ अभिव्यक्ति पाता है। इन सभी स्थितियों और मनोदशाओं को वाणी देने के लिए जिन विधाओं को अपनाया जाता है, उन्हें लोक साहित्य के भेद कहा जाता है। डॉ.कृष्ण देव उपाध्याय ने लोक साहित्य (हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास) को 5 भागों में विभक्त किया है:-

(क) लोक गीत (ख) लोक गाथा (ग) लोक कथा (घ) लोक नाट्य (ङ.) लोक सुभाषित (लोक सुभाषित के अंतर्गत कहावतें, कहानियां, सूक्तियां, पहेलियां इत्यादि आते हैं)

लोक गीत

लोक-साहित्य की अभिव्यक्ति की बात की जाए तो इसकी अभिव्यक्ति का एक मात्र सषक्त माध्यम केवल लोक संगीत व लोक गीत है। लोक गीत लोक-साहित्य को मूरत रूप प्रदान करते हैं। लोक-साहित्य के अंतर्गत लोक गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किया जाता है। गीत भावुक और संवेदनशील मानव के हृदय के स्वाभाविक उदगार के रूप में प्रकट होते हैं। लोक गीत ते गीत है जिनका प्रधान तत्व गेयता है। गीत वस्तुतः रागात्मक अभिव्यक्ति है जिनमें जीवन का राग प्रकट होते हैं। मानव की आदिम प्रवृत्तियाँ (प्रेम,वात्सल्य, करुणा, हास्य)एक समान होने के कारण ही सभी प्रान्तों और जातियों के गीतों में समानता देखी जा सकती है।

लोक गीतों में समस्त चराचर गाता व झूमता है, ये वे गीत हैं जो आधुनिकता की चकाचौंध से परे पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परागत रूप से प्रवाह मान है, इसके रचयिता अज्ञात हैं और ये एक बहती नदी की धाराओं की तरह चीरकाल से आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन से जुड़ी हुई स्थितियां जब लोक गीतों के माध्यम से फूट पड़ती हैं, तो वे अनायास ही रस की वर्षा करने लगती हैं। सरल षब्दावली प्रत्येक के समझ में आ जाती है, जो अपने अर्थ से श्रोताओं को तन्मय कर देती हैं। इनके षब्दों का अर्थ विषाल होता है। अलग-अलग अवसरों के अलग-अलग गीत अपनी अलग षब्दावली और सरल षब्दावली के कारण इन्सान की आत्मा से जुड़ जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत इतनी स्वच्छतापूर्वक प्रकट होते हैं की मनुष्य अपने समाज और अपनी मिटटी से अनायास ही जुड़ जाता है। अतः व्यक्ति और समाज का प्रतिबिम्ब लोक संगीत है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं।

लोक गीतों का अर्थ एवं परिभाषा

लोक गीत, 'लोक' और 'गीत' दो षब्दों का योग है जिसका अर्थ है लोक के गीत। लोक षब्द वास्तव में अंग्रेजी के फोक का पर्याय है, जो नगर तथा ग्राम की समस्त साधारण जन का द्योतक है। पाश्चात्य विद्वानों ने 'फोक' शब्द से तात्पर्य, परम्पराओं में स्वाभाविक जीवन बसर करने वाले जन मानस से लिया गया है। 'गीत' षब्द, लोक गीत षब्द का दूसरा भाग माना गया है। सामान्य भाषा में गीत वह गेय पद्य है, जिसकी विशेष धुन हो तथा जिसे स्वर बद्ध करके गाया जा सके। गीत षब्द का अर्थ स्वयं ही स्पष्ट है, गेय पद सस्वर पद गीत कहलाता है। 'लोक गीत' षब्द के मुख्यतः तीन अर्थ मिलते हैं:-लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत व लोक विशयक गीत।

लोक गीत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई जन-मानस के सहज एवं सरल मनोभावों तथा विचारों की सरलतम एवं संगीतात्मक मौखिक अभिव्यक्ति है। जन मानस का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो लोक गीतों में किसी न किसी रूप में विद्यमान न रहता हो।

लोक गीतों का उदभव एवं विकास

लोक गीतों का उदभव उतना ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। आदियुग से जब मानव गुफाओं और जंगलों में रहता था तो वह प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समूह में रहता था। जब उसमें बुद्धि का विकास हुआ होगा तो सम्भवतः उसने अपनी भावनाओं को लयात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया होगा, वही आदि लोक गीत कहलाया। मानवीय ज्ञान के अनन्त भण्डार, इतिहास के अनेक पृष्ठों को उलटफेर करने पर भी लोक गीतों के सृजन की तिथि को खोजना संभव नहीं है। क्योंकि लोक गीतों को किसी काल विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्योंकि मानव हृदय जब कभी भी सहानुभूति से प्रेरित दुखों, संवेदनाओं से आंदोलित हुआ होगा, गीतों के अज्ञात स्वर मनुष्य के अधरों पर गूँज उठे होंगे। आनंद की भावना से मानव जीवन सर्वदा ही पोशित होता रहा है। अतः आनंद भावना को मानव जीवन के विकास की प्रमुख प्रवृत्ति ही माना जायेगा। इसकी मूल प्रेरणा मानव हृदय की रसात्मक अनुभूति ही रही, इस अनुभूति का उदय वेलन हृदय, संकुचित सीमा में न समाकर जब वाणी, मुखरित होने की स्थिति में पहुंच जाती है, तभी लोक गीतों का स्रोत उमड़ पड़ता है।

लोक गीत न तो कभी लिपिबद्ध हुए थे न इनके रचयिताओं की गेयता ही स्पष्ट है। अतः मौखिक परम्परा से उपजी ऐसी कलात्मक रचनाओं का रचना काल ढूँढना अथवा इनके मूल रचयिताओं की खोज करना कठिन ही

नही अपितु असंभव भी हैं। इन लोक गीतों का उदगम स्थान जहां मानव हृदय रहा है, वहीं इन गीतों का विकास भी परम्परागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा।

लोक गीतों का वर्गीकरण

भारतीय जन-मानस ने जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध संस्कारों को अपनी लयपूर्ण संगीतात्मक, सहज भावनाओं के साथ उत्सव एवं समायोजन के रूप में सजाया है। प्रत्येक आंचल की अपनी परम्परा से जुड़े गीत, तीज-त्यौहार, विवाह संस्कार तथा अनेक अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीत आज भी भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हैं। षिषु जन्म से लेकर मनुष्य की अंत्येष्टी तक के समूचे चित्र हमारे लोक गीतों में विद्यमान है। भारत देश के हर एक प्रान्त में अपने-अपने संस्कारों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के लोक गीत प्रचलित हैं। अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार उन्हें अलग-अलग नामों से संबोधित करते हैं। जन-जीवन में लोक गीत की व्यापकता एवं प्रचुरता के आधार पर इन लोक गीतों का विभाजन निम्नलिखित पांच प्रकार के किया गया है:-

(1) संस्कारों की दृष्टि से

जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक हिन्दू जीवन विभिन्न संस्कारों से सम्बद्ध है। हमारे धर्म शास्त्रियों ने शोड्स (सोलह) संस्कारों का विधान बताया है। जिसमें गर्भाधान, गोपुंस, पुत्रजन्म, मुंडन, यज्ञोपवित विवाह और मृत्यु ये संस्कार प्रधान हैं। इनमें से गर्भाधान को छोड़ कर अन्य सभी संस्कारों की प्रथा आज भी भारतदेश में भिन्न-भिन्न नामों से प्रचलित है जिनमें सोहर मुंडन, जनेऊ, विवाह से सम्बन्धित गीत लगभग सभी भारतीय बोलियों में थोड़े अन्तर के साथ गाए जाते हैं। अपने क्षेत्रीय रीति-रिवाजों के अनुरूप विवाह संस्कार के अंतर्गत वर और कन्या पक्ष में अलग-अलग प्रकार के गीत मिलते हैं। जैसे:- षगुन, भैया गीत, तिलक, बटणा गीत, हल्दी मेंहदी आदि वहीं बेटे के विवाह में बन्ना, सेहरा, घोड़ी, इत्यादि हर एक क्षण के गीत हमारे इन जन्म से लेकर विवाह यहां तक की मृत्यु संस्कार से सम्बन्धित गीतों का प्रचुर भंडार हमारे लोक जीवन में मिलता है। विभिन्न संस्कारों से संबन्धित ये गीत इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(2) ऋतुओं तथा व्रतों के क्रम से

ऋतुओं के आधार पर रचे गए लोक गीतों में सावन ऋतु में कजली, हिंडोला, बसंत ऋतु में होली, बारहमासा, चैत्र आदि ऋतुओं में श्रृंगार और रोमांस की अभिव्यक्ति सहज ही देखी जा सकती है। श्रृंगार की मादकता, मदमस्तता, प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलम्ब पाकर स्वतः ही इन गीतों के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। वहीं विभिन्न प्रकार के व्रतों के अवसर पर स्त्रियां विभिन्न गीत गाकर अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति करती हैं। जिनमें भगवान शिव व श्रीकृष्ण से संबन्धित धार्मिक गीतों के साथ-साथ श्रावण शुक्ल पंचमी जिसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, बिहार के मिथिला प्रान्त के नवविवाहितों के लिये यह विशेष पर्व होता है। यह पन्द्रह दिनों तक चलता है इसमें नाग देवता से संबन्धित लोक गीत गाये जाते हैं। हिमाचल की बात करें तो शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, गुग्गा जहर पीर आदि देव से संबन्धित गीत जो गाए जाते हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(3) लोक गाथाओं के आधार पर:

इन लोक गीतों में वीरत्व व्यंजक लोकगाथाएं प्रेम प्रधान, पौराणिक एवं भक्ति परक लोक गाथाओं का गायन किया जाता है। इन गाथाओं का गायन अपनी स्थानीय बोली में ही किया जाता है। इन लोक गाथाओं में

छत्तीसगढ़ की लोक गाथा राजा भर्तृहरि से संबंधित भरथरी, राजस्थान में रासो, हिमाचल में गुग्गा गीत व लोक रामायण आदि तथा भारत वर्ष के अनेक वीर राजा-महाराजाओं की वीरता की गाथाओं का गुण-गान जिन लोक गाथा गीतों के रूप में किया जाता है वे सब इसके अंतर्गत आते हैं।

(4) विभिन्न जातियों के गीतों के आधार पर

जाति विषेश के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को इस श्रेणी में रखा जाता है, हिन्दू समाज का कोई कोना ऐसा नहीं जहां जाति प्रथा का दखल न हो। लोक गीतों में भी जातिगत भेद पाए जाते हैं, बिहरा अहेर, अहीर जाति के लोगों का राष्ट्रीय गीत है। गोदो में गोदाऊ गीत गाया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों के अपने-अपने गीत हैं, जो उनकी आजीविका का भी एक मात्र साधन हैं। वे इसे अपनी ही संपत्ति मानते हैं। इन गीतों में जैसे घाढ़ी भोया, हिमाचल में महिना गीत, बारहमासा गीत आदि शामिल हैं जिन पर इन जातियों का विषेश अधिकार है। ये गीत इसी श्रेणी में आते हैं।

(5) श्रम गीतों के आधार पर

भारतवर्ष में बहुत से लोक गीत ऐसे हैं, जिनका प्रयोग लोग कार्य करते समय या कार्य करने के उपरांत अपनी थकान मिटाने हेतु नृत्य सहित करते हैं, खेतों में धान रोपते समय स्त्रियों जो गीत गाती हैं उन्हें रोपनी के गीत कहते हैं, हिमाचल में घास की कटाई करते समय जो गीत गाती हैं उन्हें गंगी कहते हैं, मक्की की गुड़ाई करते समय जो गीत गाते हैं उसे झुरी व गुड़ाई गीत कहते हैं, नौका चलाते बख्त मल्लाहों द्वारा मल्लाह गीत, इत्यादि गाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गीत कार्य करते समय गाए जाते हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है यथा इन गीतों को गा कर वे अपने जीवन को एक नई ऊर्जा व दिशा प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

वैदिक काल से चली आ रही गीतों की यह परम्परा आज तक वाचिक परम्परा के रूप में लोक समाज में विद्यमान है। लोक गीतों की परम्परा जीवन की सच्चाई खोजने की परम्परा है, जो न जाने कितने युगों से चली आ रही है और न जाने कितने हजारों युगों तक जाएगी। आज आधुनिकता की दौड़ में लोक साहित्य परम्परा की इस अमूल्य निधि को खो जाने का डर है, इसमें कोई षक नहीं की मषीनी युग ने लोक साहित्य विषेशतः लोक गीतों की रचना को गहरा धक्का पहुंचाया है। अतः इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को आने वाली नई पीढ़ी को हमें संजोकर रखना है व आज के युवाओं को इन लोक कला परम्पराओं को सीखना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को हम लाभान्वित कर सकें।

संदर्भ

- (1) अनिल डॉ.संत राम, कन्नौजी लोक साहित्य, पृष्ठ 25
- (2) उपाध्याय डॉ. कृष्ण देव, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास,पृष्ठ 25
- (3) द्विवेदी हजारी प्रसाद,लोक साहित्य का अध्ययन, जनपद पत्रिका अंक-65-65
- (4) वर्मा डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, संपादक हिंदी साहित्य कोश, पृष्ठ 1
- (5) वर्मा श्री राम, लोक साहित्य का सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 34
- (6) सिन्हा सत्य व्रत, भोजपुरी लोक साहित्य, पृष्ठ 1
- (7) त्रिलोचन पाण्डेय, लोक-साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ 20